न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 224/2015/223 आर टी ए

जयकौरी उर्फ जसकौरी (मृतक) बीरूराम पुत्र स्व. बालूराम व स्व. जयकौरी उर्फ जसकौरी जाति सांसी निवासी जण्डावाली हाल फाजिल्का जिला फाजिल्का पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. सोहनलाल कथित पुत्र भूरिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 21.12.2015 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 1/11 अनवानी सोहनलाल बनाम जयकौरी जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 16.08.2011 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया

उपस्थित :–

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट

श्री वतनदीप सिंह मान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–08.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि भूरिया अपीलांट का पिता था जिसे कस्टोडियन चक 4 जेआरके मे 2.707 है0 भूमि आवंटित हुई। आवंटन के समय भूरिया के परिवार मे आवंटी के तौर पर उसकी पत्नि लखो पुत्रीयां स्वयं अपीलांट व उसकी बहन सुन्दर मौजूद थे जिन्हे उक्त भूमि आवंटित हुई थी। रेस्पो0 सं. 1 व उसके भाई औमप्रकाश, बुधराम व मंगाराम का कोई संबंध भूरिया के परिवार के साथ नही था परन्तु इनके अपने आपको भूरिया के पुत्र होना बतलाकर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उक्त कस्टोडियन लैण्ड का नामान्तरण भूरिया की 8 पुत्रियों व स्वयं के नाम से करवाए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांक 16.08.2011 को पारित कर सनद के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार हनुमानगढ़ को दिये परन्तु रेस्पो0 ने अपने व अपने भाईयो का नाम भी बतौर अलॉटी इन्तकाल सं. 327 दर्ज करवा लिया व तत्पश्चात इन्तकाल सं. 348 के जरिये अपीलांट व उसकी बहन मीरो के नाम से नामान्तरित 0.451 है0 भूमि का अपने नाम से इन्तकाल किसी दान पत्र के अनुसरण मे दर्ज करवा लिया। अपीलांट ने उक्त निर्णय

दिनांक 16.08.2011 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत जो न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2014 के द्वारा स्वीकृत हुई व प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने पर बहस समायत कर डायस पर ही मौखिक निर्णय सुना दिया व अपने आदेश दिनांक 16.12.2018 को यथावत रखने आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा अपील सं. 65/13 मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.14 के दिशा निर्देशो के विपरीत आचरण किया है व अपील सं. 65/13 के समस्त पक्षो को सुनवाई के लिये आहूत नही किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों मे उठाये गये बिन्दूओ को निर्णित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सोहनलाल व उसके तीन भाई भूरिया से पैदा हुई संतान है? सही स्थिति यह है कि भूरिया की पत्नि लखो थी जिसकी मृत्यु दिनांक 03.12.2009 को हुई है। भूरिया व लखो के वैवाहिक संबंधो से अपीलांट सहित कुल 8 पुत्रियां पैदा हुई जो जयकौरी, सुन्दर, धापो, धाई, सोनी, लच्छो, चन्दो व मीरो है। धाई फौत हो चुकी है जिसकी एक पुत्री लच्छो व पुत्र सुखराम जीवित है। सोहनलाल व उसके भाईयों का कोई संबंध भूरिया के परिवार से नही है। आवंटन के समय भी सोहनलाल रेस्पो0 सं. 1 की माता अथवा रेस्पो0 सं. 1 भूरिया के परिवार के सदस्यगण नही थे। ऐसी स्थिति मे जबकि रेस्पो0 सं. 1 भूरिया के सन्तान की हैसियत ही नही रखते है तो वे भूरिया के नाम से आवंटित भूमि मे किसी भी प्रकार का हक प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

4. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने इन्तकाल सं. 348 के संबंध मे कथन किया था कि अपीलांट व उसकी मीरो ने रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे कोई दान पत्र पंजीकृत नही करवाया है। रेस्पो0 सं. 1 ने ऐसे दान पत्र की कूटरचना की थी व किसी अन्य औरतो को अपीलांट व मीरो के स्थान पर खड़ा करके उनसे ऐसा दान पत्र तैयार करवाया था। इस संबंध मे अपीलांट ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन मे रेस्पो0 सं. 1, उसकी पत्नि मीरा व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जिस पर बाद तफ्तीश रेस्पो. सं. 1 व उसकी पत्नि व अन्य को दस्तावेज दान पत्र की कूटरचना का दोषी मानकर उनके विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 471, 120बी, भा.द.सं. के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ मे प्रस्तुत की, जो मुकदमा विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि आवंटी भूरिया पुत्र पीरिया को आवंटित थी। विस्थापित व्यक्ति के पुर्नवास हेतु आवंटन अधिनियम के अन्तर्गत आवंटी की पहचान के लिए उसके परिवार के सदस्यो का उल्लेख होता है ताकि उस परिवार के मुखिया को कही अन्यत्र भूमि आवंटन न हो। प्रश्नगत भूमि का आवंटी भूरिया ही था तथा उसकी मृत्यु के उपरांत उसके समस्त वारिस प्रश्नगत भूमि मे बहिस्सा बराबर के खातेदार है। अधिवक्ता रेस्पो0 न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2014 पेज 258 पेमाराम बनाम डिविजनल कमिश्वर व अन्य प्रस्तुत कर कथन किया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरण मे धारा 8 उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समस्त वारिसान के बहिस्सा बराबर के हकदार होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है तथाा पुर्नवास व्यक्ति की आराजी मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत समस्त वारिसान को हकदार होना माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे रिमाण्ड निर्देशो के अनुसरण मे उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो सही है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रश्नगत आराजी भूमि भूरिया पुत्र पीरीया को आवंटित हुई जो भूरिया की मृत्यु के उपरांत उसके समस्त वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। अपीलांट का तर्क है कि रेस्पो0 सं. 1 व उसके भाई भूरिया की संतान नही है, के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि भूरिया के 8 पुत्रियों के अलावा कोई संतान ना हो तथा रेस्पो0 सं. 1 व उसके भाई भूरिया की संतान ना हो। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2014 पेज 258 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे पुर्नवास व्यक्ति की आराजी मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत समस्त वारिसान को हकदार होना माना है। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत होना नही पाया जाता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2015 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ